


18⁶/₂₅

पत्रावली पेश। पार्थी व वकील पार्थी को बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के पश्चात् भी पार्थी व वकील पार्थी न्यायालय में हाजिर नहीं आये। अतः पार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत् द्वारा 212 RTI अधिनियम हाजरी अधिनियम परेवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल नुमा होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर है।



उपसंग्रह अधिकारी
दातारामगढ़ (सीकर)